



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072022-237751
CG-DL-E-30072022-237751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3358]
No. 3358]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

का.आ. 3523(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2871 (अ) तारीख 24 जून 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में NH161 (New) के कि.मी. 40.100 से कि.मी. 97.700 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) का (बाईपासों सहित) के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "10 जुलाई 2022" को "टाइम्स ऑफ इंडिया" और "दैनिक सकाळ" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में NH161 (New) के कि.मी. 40.100 से कि.मी. 97.700 (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) का (वाईपासों सहित) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: वाशिम					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मालेगाव				
	गांव का नाम: डब्ही				
1	41	निजी	एग्रिकल्चर	0.07	बालाजी मोतिराम बोरचाते, शालुबाई मधुकर वानखेडे, मलताबाई देवीदास हेम्बडे (41 पार्ट)
	गांव का नाम: झोडगा बु.				
2	121	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.016	नामदेव किसान आवाते (प्रोपर्टी नो. 258)
3	121	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.003	दत्ता दगडू धावे (प्रोपर्टी नो 256 अ)
4	121	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.0048	उज्वला सुरेश गवाई (प्रोपर्टी नो. 351)
5	121	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.0098	उज्वला सुरेश गवाई (प्रोपर्टी एँनओ. 375)
6	121	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.0015	अमृता वामन गवाई (प्रोपर्टी नो. 310)
7	121	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.0009	शालिकराम वामन गवाई (प्रोपर्टी नो 308)
8	121	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.0027	मोतिराम किसान आवाते (प्रोपर्टी नो. 256)
9	146	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.0025	वर्धमान भिकाजी गवाई (प्रोपर्टी नो 110)
10	146	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.0104	अशोक किसान धावे (146)
11	146	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.0105	विठ्ठल श्रीराम गवाई (प्रोपर्टी नो. 108 अ)
12	146	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.0105	मदन श्रीराम गवाई (प्रोपर्टी नो. 108)

13	146	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.014	भीमराव भिकाजी गवई (प्रोपर्टी नो. 119)
14	146	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.0135	सुरेश भिकाजी गवई (सत्याशिला सुरेश गवई) (प्रोपर्टी नो. 109)
15	146	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.0009	रवि विजय अंबासकर (प्रोपर्टी नो. 293)
16	146	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.015	अशोक किसान धावे (146)
17	146	निजी	एग्रिकल्चर & नान्-एग्रिकल्चर	0.011	विश्वास देवराव ठेंगे (146)
18	154	निजी	एग्रिकल्चर & नॉ-एग्रिकल्चर	0.0022	रेखाबाई शामराव धावे (154)
			कुल	0.1992	

[फा. सं. NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2022

S. O. 3523(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 2871 (E) Dated 24, June 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH161 (New) (including Bypasses) in the stretch of land from Km 40.100 to Km 97.700 (Nanded-Hingoli-Washim-Akola Section) in the district of WASHIM in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Times of India**” and “**Dainik Sakal**” both dated **10 July 2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from from Km. 40.100 to Km. 97.700 (Nanded-Hingoli-Washim-Akola Section) of the NH161 (New) in the district of WASHIM in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: WASHIM		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Malegaon				
	Village: Davhi				
1	41	Private	Agriculture	0.07	Balaji Motiram Borchate, Shalubai madhukar wankhede, maltabai devidas hembade 41 part
	Village: Zodga Bk.				
2	121	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.016	Namdeo Kisan Awate Property no. 258
3	121	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.003	Datta Dagadu Dhabe Property no 256 A
4	121	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.0048	Ujwala Suresh Gawai property no. 351
5	121	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.0098	Ujwala Suresh Gawai property NO. 375
6	121	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.0015	Amruta Waman Gawai Property No. 310
7	121	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.0009	Shalikram Waman Gawai Property No 308
8	121	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.0027	Motiram Kisan Awate Property no. 256
9	146	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.0025	Vardhaman Bhikaji Gawai Property no 110
10	146	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.0104	Ashok Kisan Dhabe 146
11	146	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.0105	Vithhal Shriram Gawai Property no. 108 A
12	146	Private	Agriculture & Non-	0.0105	Madan Shriram Gawai Property No. 108

			Agriculture		
13	146	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.014	Bhimrav Bhikaji Gawai Property No. 119
14	146	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.0135	Suresh Bhikaji Gawai (Satyashila Suresh Gawai) Property No. 109
15	146	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.0009	Ravi Vijay Ambaskar Property No. 293
16	146	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.015	Ashok Kisan Dhabe 146
17	146	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.011	Vishwas Devrao Thenge 146
18	154	Private	Agriculture & Non-Agriculture	0.0022	Rekhabai Shamrao Dhabe 154
			TOTAL	0.1992	

[F. No. NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director